



भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान

ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute

Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501

Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163

Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in



F.No. 6(383)SP/2023

Dated: 10-08-2023

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work of security, maintenance and cleaning related activities of Rabbit at the Rabbit Unit** at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE AVIKANAGAR, MALPURA ,DISTT. TONK , RAJASTHAN , PIN 304501 .Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	6(383)SP/2023
Date and Time for issue/Publishing	Dated 10-08-2023 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	Dated 11-08-2023 3.00 PM
Prebid Meeting of the Contractors	
Bid Submission Start Date and Time	Dated 11-08-2023 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	Dated 04-09-2023 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	Dated 05-09-2023 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- Earnest money – Rs.10,000/- Security money – 10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India, Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Asstt. Administrative Officer (S&P)

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Assistant Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of ESI and EPF Registration
4. Scanned copy of D.D. of Tender Fee and EMD.
5. Scanned copy of NON BLACKLISTING CERTIFICATE
6. Scanned copy of acceptance letter
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Asstt. Administrative Officer (S&P)

खरगोश ईकाई पर खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य अनुबंध की नियम व शर्तें –

1. खरगोश ईकाई पर उपलब्ध खरगोशों की संख्या 400 है जो कि संस्थान की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।
2. अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंधकर्ता को स्वयं खरगोशों की दिन-रात देखभाल करनी होगी।
3. खरगोश ईकाई के आस-पास आवारा जानवर नहीं होने चाहिए तथा ईकाई पर खरगोशों के अलावा अन्य कोई निजी जानवर नहीं रख सकेंगे।
4. खरगोशों को सेक्टर पर दाना पानी एवं अन्य कार्य प्रभारी, खरगोश ईकाई के दिशा निर्देशानुसार करना होगा। दाना संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
5. खरगोशों की देखभाल एवं रख-रखाव के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करना होगा—
 - (क) खरगोशों को टीका लगवाना, दवाई पिलाना, ड्रेसिंग करना वजन करवाना व अन्य ईलाज के समय खरगोशों को पकड़ने में मदद करना, बيمार खरगोशों की देखभाल करना।
 - (ख) खरगोशों के प्रजनन कार्य के दौरान प्रसूता खरगोश की देख-रेख, खरगोश के बच्चों को दूध पिलाना एवं दाना-पानी/स्वच्छता एवं अन्य कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी से करने होंगे।
 - (ग) मरे हुये खरगोशों की सूचना तुरन्त प्रभारी, खरगोश ईकाई को देनी होगी तथा उनके निर्देशों के अनुसार मरे हुये खरगोशों को उठाकर पोस्टमार्टम (चीरफाड़) कार्य के लिये संस्थान की जीप या स्वयं के वाहन द्वारा पशु स्वास्थ्य विभाग को भिजवाना होगा। वध/स्लाटर के लिये भी आवश्यकतानुसार खरगोशों को मांस अनुभाग में पहुँचाना होगा।
 - (घ) गर्मियों में शेड के चारों ओर लगी टाटियों पर अन्दर व बाहर दिन में चार-पांच बार पानी छिड़कना होगा। खरगोश ईकाई पर दाना, दाना अनुभाग/फीड यूनिट से लाकर उतरवाना होगा।
 - (ङ) शेड के अन्दर नियमितरूप से पिंजरो की सफाई करनी होगी तथा चूना छिड़कना/पिंजरो को बदलना होगा तथा पिंजरो के अन्दर से बेकार चारे को निकालकर जलाना होगा। शेड के अन्दर की मिट्टी को हर 6 माह में आधा फुट गहराई तक बदलना होगा।
 - (च) अनुबंधकर्ता को खरगोश शाला के अन्दर व बाहर की तरफ की साफ-सफाई और बाहर लगे पेड़ पोधों की देखभाल करनी होगी। साथ ही खरगोशों को खिलाने हेतु हरा चारा काटकर लाना व कुटटी करना होगा और प्रभारी, के निर्देशानुसार खिलाना होगा।
 - (छ) खरगोश ईकाई के अन्तर्गत सभी खरगोशों की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी।
 - (ज) खरगोश ईकाई में शेड के अन्दर एगल व पिंजरो के पेन्ट का कार्य आवश्यकता अनुसार करना होगा।
6. अनुबंध की अवधि में सम्बन्धित सेक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय में पहुचाने के व्यवस्था भी अनुबंधकर्ता को करनी होगी।
7. खरगोश इकाई के दोनो ओर के क्षेत्र में (जो कि करीब 130+150 =280 है0 मी. के लगभग है)मौसमी चारे की बिजाई, निराई, गुड़ाई, सिचाई,कटाई तथा चारा भंडारण का कार्य भी इसमें सम्मिलित है।

अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त दर्शाये अनुसार कार्य नहीं करने पर निम्नानुसार कटौतियाँ की जावेगी:-

1. सेक्टर व सेक्टर पर उपलब्ध सभी बाड़ों की प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार प्रतिदिन सफाई नहीं करने पर 400/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
2. यदि नाजायज खरगोश का बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना 1 से 5 बच्चों तक की राशि रु. 400 बच्चा 6 से 10 खरगोश का बच्चा तक की राशि रु. 600 प्रति खरगोश का बच्चा तथा 10 से अधिक बच्चों पर 1000 रु प्रति बच्चों के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुडवा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी।
3. यदि अनुबंधकर्ता अथवा उनका श्रमिक/प्रतिनिधि बिना पूर्व अनुमति के अपनी मर्जी से खरगोश को बेच देता है अथवा मांस उपयोग के लिय वध कर देता है तो उसका अनुबंध निरस्त करते हुये खरगोश की किताबी कीमत का दस गुना हर्जाना वसूल किया जावेगा।
4. प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार शेड की खुदाई नहीं की जाती है तो संबंधित प्रभारी शेड की खुदाई करवाएगा तथा खुदाई कार्य में लगने वाला खर्च अनुबंधकर्ता से वसूला जावेगा।

अनुबंध की सामान्य नियम व शर्तें

1. अनुबंध की कार्य आदेश जारी होने की तिथि एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में संबंधित प्रभारी की अनुशंसा से अनुबंध को वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबंध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
3. खरगोशों में लगाये गये श्रमिक कम से कम बदले जावेंगे। बदलने से पूर्व सेक्टर प्रभारी/प्रतिनिधि से अनुमति लेनी होगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
4. सेक्टर पर स्थित खरगोशों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नहीं रख सकेंगे।
5. अनुबंध की अवधि में अनुबंधकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।
6. अनुबंधकर्ता को प्राकृतिक आपदा जैसे-आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने अथवा सेक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्य होने की स्थिति में प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार खरगोशों को रखना होगा।
7. किसी भी खरगोश के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी।
8. अनुबंधकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।

9. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।
10. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
11. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्ज राशि की भी कटौती की जावेगी।
12. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता है।
13. खरगोशों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
14. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा।
15. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
16. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
17. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
18. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
20. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
21. सफल ठेकेदार को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
22. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the **Lowest** quotee based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @10% of contract value** in form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or FDR/TDR in favour of **ICAR Unit CSWRI, Avikanagar** within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. **PENALTY CLAUSE:**
 - 1- Atleast 70% of planted trees should survive. If the above condition is not met; Penalty as decided by committee constituted by Director will be imposed.
 - 2- Any other losses incurred to the institute, Committee will be constitute by Director to assess the loss & accordingly penalty be decided.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c Farm Section the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.

16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Asstt. Administrative Officer (S&P)

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item perform the duties as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:

Place:

Name:

Business Address :

Signature of Bidder:

Seal of the Bidder:

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांक: 6(383)एसपी/2023/

दिनांक: 10.08.2023

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के सेक्टर नं.9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध कार्य :-

क्र.सं.	विवरण	खरगोशों की अनुमानित संख्या
1.	संस्थान के सेक्टर नं.9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	400

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के सेक्टर नं.9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में अनुबंध / जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, खरगोश इकाई या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.
बैंक खाता नं.

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक, राजस्थान -304 501

क्रमांक: 6(383)एसपी / 2023 /

दिनांक: .08.2023

वित्तीय निविदा

संस्थान के सेक्टर नं.9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध सम्पन्न करवाने से संबंधित दरें निविदा के साथ संलग्न BUQ Sheet में प्रस्तुत करे।

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति खरगोश प्रतिमाह
1.	संस्थान के सेक्टर नं.9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	

दिनांक-----

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता टेलीफोन / मोबाईल नं.